

विभाग का नाम— पंचायती राज

कार्यालयाध्यक्ष का नाम— एम0जफर खान

दूरभाष संख्या— 01334-239727

मोबाइल नंबर— 9412030591

कार्यालय कक्ष संख्या व तल— द्वितीय तल

ईमेल आईडी— [dproharidwar1@gmail.com](mailto:dproharidwar1@gmail.com)

पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजना वित्तीय वर्ष 2015-16

- 1: **राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत अंशः—** राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों के लिए रू0 12,96,90,000.00 अवमुक्त होने की सम्भावना है उक्त धनराशि से ग्राम पंचायतें ग्राम के विकास कार्यों के लिए सी0सी0 मार्ग निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम पंचायत भवनों के मरम्मत व रख-रखाव आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण, कराए जाने का प्राविधान है।
- 2: **13वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत अंशः—** 13 वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायतों के लिए रू0 8,37,02,000.00 अवमुक्त होने की सम्भावना है उक्त धनराशि से ग्राम पंचायतें ग्राम के विकास कार्यों के लिए पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण कराए जाने का प्राविधान है।
- 3: **राज्य वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत अंशः—** राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायतों के लिए रू0 3,75,94,000.00 अवमुक्त होने की सम्भावना है उक्त धनराशि से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए क्षेत्र पंचायतें अपनी योजनाएं स्वयं बनाती है। प्राप्त धनराशि को योजनाओं के अनुसार सी0सी0 मार्ग निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण कराए जाने का प्राविधान है।

- 4: **13 वां वित्त आयोग क्षेत्र पंचायत अंश:-** राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्षेत्र पंचायतों के लिए रू0 2,81,96,000.00 अवमुक्त होने की सम्भावना है उक्त धनराशि से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए क्षेत्र पंचायतें अपनी योजनाएं स्वयं बनाती है। प्राप्त धनराशि को योजनाओं के अनुसार पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण कराए जाने का प्राविधान है।
- 5: **क्षेत्र पंचायत विकास निधि:-** क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अर्न्तगत वित्तीय 2015-16 में रू0 1,80,00,000.00 अवमुक्त होने की सम्भावना है। क्षेत्र पंचायतें क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अपनी योजनाएं स्वयं बनाती है। प्राप्त धनराशि को योजनाओं के अनुसार सी0सी0 मार्ग निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता कार्यक्रम आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण कराए जाने का प्राविधान है।
- 6: **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अर्न्तगत पंचायत भवन निर्माण:-** रा0गा0पं0सशक्तीकरण अभियान के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, भवनों के रख-रखाव एवं पंचायत भवनों के मरम्मत किये जाने हेतु 2,00,000.00 प्रति पंचायत भवन का प्राविधान है। इसी प्रकार नव निर्माण हेतु प्रति पंचायत भवन रू0 12,00,000.00 का प्राविधान है। जनपद के 41 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नव निर्माण तथा 51 जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव शासन/निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी  
हरिद्वार।